रजिस्ट्री सं० डी०-222 REGISTERED NO. D-222

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 3, 1973/फाल्गुन 12, 1894

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 3, 1973/PHALGUNA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

## PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गए विधिक नियम और आदेश

## Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

### रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1972

**का. नि. आ. 54.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. नि. आ. 392 तारीख 8 अक्टूबर, 1971 के साथ प्रकाशित महानिदेशालय, आर्डनेंस कारखाना (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम महानिदेशालय, आर्डनेंस कारखाना (वर्ग 3 पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1972 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुसूची का प्रतिस्थापन.**—महानिदेशालय आर्डनेंस कारखाना (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 1971 में विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| आर्डनंस कारखाना मुख्यालय के महानिदेशालय में निम्न श्रेणी लिपिक | 289 | वर्ग III अनुसचिवीय अराजपत्रित | 110-3-131-4-155-द० रो०-4-175-5-180 रु० | लागू नहीं होता | 18 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए तथा 25 वर्ष से अनधिक नहीं होनी चाहिए । |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं । | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता<br>(2) यदि पहले ही अर्हित न हो तो नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द या हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की कम से कम गति पर टंकन परीक्षा में अर्हित होना चाहिए जिसके न होने पर, जब तक उक्त परीक्षा पास न हो जाए तब तक वार्षिक वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जाएगी । | लागू नहीं होता | 2 वर्ष |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो तो उस की संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| (क) 10 प्रतिशत रिक्तियां उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष की सेवा वाले ऐसे वर्ग IV के शैक्षिक रूप से अर्हित (आर्डनन्स कारखाने के महानिदेशालय के स्थापन पर नियमित रुप से धारित) कर्मचारियों की नियुक्ति द्वारा, विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जाएगी । परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए 50 वर्ष)<br>इस पद्धति द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या किसी वर्ष में, निम्न श्रेणी लिपिकों की इस श्रेणी में होने वाली रिक्तियों के दस प्रतिशत तक सीमित होगी न भरी हुई रिक्तियां अग्रणीत नहीं की जाएगी :<br>परन्तु यदि व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो, तो वे रिक्तियां खंड (ख) में विहित रीति से भरी जाएगी ।<br>(ख) 90 प्रतिशत या ऐसी उच्चतर प्रतिशत की रिक्तियां जो खंड (क) के परन्तुक के अनुसार अवधारित की जाए सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएगी :<br>परन्तु जहां तक उपर्युक्त खंड (क) में निर्दिष्ट प्रतियोगिता परीक्षाओं ते अर्हित अभ्यार्थियों की पर्याप्त संख्या ऐसी परीक्षा के परिणाम पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो, वहां तक सीधे भर्ती द्वारा, नियमित आधार पर रिक्तियां भरी जा सकेंगी । | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | |

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 22nd December, 1972

**S.R.O. 54.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Directorate General, Ordnance Factories (Class III posts) Recruitment Rules, 1971, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. SRO 392, dated the 8th October, 1971, namely:—

1. **Short Title and Commence:—**

1. These rules may be called the Directorate General, Ordnance Factories (Class III posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Substitution of the Schedule:—**

In the Directorate General, Ordnance Factories (Class III posts) Recruitment Rules, 1971, for the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted namely:—

एस. एन. राय, अवर सचिव ।

SCHEDULE

| Name of the post | No. of the post | Classification | Scale of Pay | Whether selection post or non-selection post. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lower Division Clerk in the Directorate General Ordnance Factories Head Quarters. | 289 | Class III, Ministerial, Non-Gazetted. | Rs. 110-3-131-4-155-EB-4 175-5-180 | Not applicable. |

| Age limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age & educational qualifications prescribed for the direct recruit will apply in case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 |
| Must have attained the age of 18 years and must not be more than 25 years. | i. Matriculation or equivalent qualification.<br>ii. Should qualify in the Typewriting test at a minimum speed of 30 words in English or 25 words in Hindi per minute within a period of one year from the date of appointment if not already qualified, failing which no annual increment(s) shall be allowed until the said test has been passed. | Not applicable | Two years |

| Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion/ deputation transfer grades from which promotion/deputation transfer to be made | If a DPC exists, what is its composition |
|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 |
| a. Ten per cent of the vacancies will be filled by appointment of educationally qualified Class IV employees having at least 5 years service in that grade (borne on regular establishment of the Directorate General, Ordnance Factories) on the basis of a competitive departmental test. The maximum age for appearing at the examination would be 45 years (50 years for SC/ST candidates):<br>The maximum number of recruits by this method shall be limited, to ten per cent of the vacancies in the grade of LDC occurring in a year; unfilled vacancies shall not be carried over.<br>Provided that if sufficient number of persons do not become available the vacancies shall be filled in the manner prescribed in clause (b).<br>b. Ninety per cent of the vacancies or such higher percentage as may be determined in accordance with the proviso to clause (a) shall be filled by direct recruitment.<br>Provided that to the extent a sufficient number of qualified candidates of the competitive examinations, referred to in clause (a) above, are not available for appointment on the results of such examination, the vacancies may be filled on regular basis by direct recruitment. | Not applicable | Not applicable |

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1972

S. N. ROY, Under Secy.

**का. नि. आ. 55**—केन्द्रीय सरकार, नौसेना अधिनियम 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. नि. आ. 22 ई., तारीख 19 फरवरी, 1964 के साथ प्रकाशित, नौसेना औपचारिकता, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण विनियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का नाम नौसेना औपचारिकता, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 1973 होगा ।

(2) ये राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश पाने के लिए जुलाई, 1971 से प्रारम्भ होने वाले 46 वें पाठ्यक्रम से प्रवृत्त होंगे ।

2. नौसेना औपचारिकता, सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण विनियम, 1964 में, विनियम 117 में—

(1) उप-विनियम (4) में, "15 से 17½ वर्ष" पद के स्थान पर "16 से 18 वर्ष" पद प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(2) उप-विनियम (5) में "मैट्रिकुलेशन" शब्द के स्थान पर "उच्चतर माध्यमिक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

एस. दयाल, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 30th December, 1972

**S.R.O. 55.**—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations, 1964, published with notification of the Government of India, in the Ministry of Defence No. SRO 22E dated the 19th February, 1964, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous (Amendment) Regulations, 1973.

(2) They shall come into force with effect from 46th Course commencing July 71 for entry into the National Defence Academy.

2. In the Naval Ceremonial, Conditions of Service and Miscellaneous Regulations 1964, in regulation 117—

(i) in sub-regulation (4), *for* the expression "15 to 17 1|2 years" the expression "16 to 18 years" shall be substituted;

(ii) in sub-regulation (5), *for* the word "Matriculation" the words "Higher Secondary" shall be substituted.

L. DAYAL, Joint Secy.

---

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1973

**का. नि. आ. 56.**—नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 62) की धारा 184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. नि. आ. 74 तारीख 10 फरवरी, 1964 के साथ प्रकाशित नौसेना (पेंशन) अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:**— (1) इन विनियमों का नाम नौसेना (पेंशन) प्रथम संशोधन विनियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**विनियम 196 का संशोधन**

2. नौसेना (पेंशन) विनियम, 1964 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) में,

(1) विनियम 196 को उसके उपविनियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपविनियम (1) के पश्चात निम्नलिखित उपविनियम अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात—

"(2) यदि कोई पेंशनर किसी मित्र देश के विदेशी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो या किसी राजनैतिक प्रकृति के किसी अपराध के लिए भारत के बाहर किसी जेल में किसी कारावास के अधीन हो, तो उसकी पेंशन में कमी, समयहरण या प्रत्यावर्सन का मामला साथ ही कारावास की अवधि के लिए पेंशन के संदाय का प्रश्न संबंधित विदेशी सरकार के परामर्श के साथ संबंधित उच्चायुक्त या राजदूत द्वारा विनिश्चित किया जाएगा ।"

**परिशिष्ट 3 का संशोधन**

3. उक्त विनियमों के परिशिष्ट 3 में, पैरा (1) के खण्ड (ग) में, अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात:—

"या सहायक वायु सेना ।"

[नौ.मु. फा. सं. पी. एल./22038(पी. सी. 17)]
वित्त मंत्रालय (रक्षा/पेंशन) यू/ओ. सं. 5630-पें. तारीख 23-12-72

रवीन्द्रनाथ त्यागी, उप सचिव

New Delhi, the 13th February, 1973

**S.R.O. 56.**—In exercise of the powers conferred by section 184 of the Navy Act, 1957 (62 of 1957), the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Navy (Pension) Regulations, 1964, published with the notification of the Government of India, in the Ministry of Defence No. S.R.O. 74 dated the 10th February, 1964, namely :

**Short title and commencement :**

1. (1) These regulations may be called the Navy (Pension) first Amendment Regulations, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**Amendment of regulation 196**

2. In the Navy (Pension) Regulations, 1964 (hereinafter referred to as the said regulation),

(1) Regulation 196, shall be renumbered as sub-regulation (1) thereof and after sub-regulation (1) as so renumbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely:—

"(2) If a pensioner is convicted by a foreign court of a friendly country or is imprisoned in a jail outside India for a crime of a political nature, his case for reduction, forfeiture or restoration of pension as well as the question of payment of pension for the period of imprisonment shall be decided by the High Commissioner or Ambassador concerned in consultation with the foreign Government concerned.

**Amendment of Appendix III**

3. In Appendix III of the said regulations, in clause (c) of paragraph (1), the following shall be added at the end, namely:—

"or the Auxiliary Air Force."

[NHQ File No. PN/2238 (PC XVII)]

Ministry of Finance (Def/Pens) u/o. No. 5630-Pen dated 23-12-72.
R. N. TYAGI, Deputy Secy.

---

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1973

**का. नि. आ. 57.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इन्फंट्री स्कूल, महू में सिविलियन वर्ग 2 पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम इन्फंट्री स्कूल (वर्ग 2 पद) भर्ती नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में यथा विनिर्दिष्ट वर्ग 2 के पदों को लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के 2 से 4 तक स्तंभों में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के 5 से 13 तक स्तंभों में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु सीधी भर्ती के लिए विहित अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी ।

5. **निरर्हताएं:**— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति:**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति:**—इन नियमों में की गई कोई भी बात, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों या व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए उपबन्ध करने के हेतु, अपेक्षित आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| पुस्तकाध्यक्ष श्रेणी 1. | 1 | रक्षा सेवा में सिविलियन वर्ग II राजपत्रित, अननुसचिवीय | 350-25-500-30-590-व०रो० 30-800-व०रो०-830-35-900 रु० | लागू नहीं होती | 35 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय) |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं । | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 |
| **अनिवार्य :** | लागू नहीं होता | 2 वर्ष |
| (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समतुल्य अर्हता | | |
| (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 1 संख्या की पुस्तक विज्ञान में डिग्री/डिप्लोमा | | |
| (iii) किसी प्रतिष्ठित पुस्तकालय में 5 वर्ष का अनुभव जिसमें ग्रंथ सूची का अनुभव भी सम्मिलित है (अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में आयोग के विवेकानुसार अर्हताएं शिथिलनीय) | | |
| **वांछनीय :** | | |
| निम्नलिखित भाषाओं में से किसी एक का ज्ञान :— | | |
| (1) फ्रेंच (2) रशियन (3) जर्मन | | |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किस परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 13 |
| सीधे भर्ती द्वारा | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता। | संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श [से छूट) विनियम, 1958 के अधीन यथा-अपेक्षित । |

वी. वाई. नारायन, अवर सचिव

[फा. सं. एफ. 3/4(18)/71-आर. आर.]

New Delhi, the 16th February, 1973

**S.R.O. 57.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to civilian Class II posts in the Infantry School, MHOW, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Infantry School (Class II posts) Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the Class II posts as specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, classification, scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scales of pay attached therto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age limit and other matters relating thereto shall be as specified, in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid;

Provided that the upper age-limit prescribed for direct recruitment may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any clause or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes or other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the post of Librarian, Grade I (Gazetted) in Infantry School MHOW

| Name of post | No. of posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection or Non-Selection | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Librarian Grade I | One | Civilion Defence Service Class II Gazetted Non-Ministerial | Rs.350-25-500-30-590-EB-30-800-EB 830-35-900 | Not applicable | 35 Years (Relaxable) for Government servants | **Essential:**<br>(i) Degree of recognised university or equivalent qualification.<br>(ii) Degree/Diploma in Library Science of a recognised University/Institution.<br>(iii) About 5 years experience in a Library of Standing, including experience in bibliography (qualifications relaxable at Commission's discretion in the case of candidates otherwise well-qualified).<br>**Desirable:**<br>Knowledge of any one of the following languages:—<br>(i) French.<br>(ii) Russian.<br>(iii) German. |

| Whether age & educational qualifications for direct recruits apply in case of promotees. | Period of probation if any. | Method of rectt. by promotion, deputation, transfer & percentage of vacancies to be filled by various Methods. | In case of rectt. by promotion, transfer, grades from which promotions/ deputations/transfer to be made. | If a DPC exists what is its composition. | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Not Applicable | Two Years | By direct recruitment | Not Applicable | Not Applicable | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1958. |

[File No. F. 3/4(18)/71-RR]
V. Y. NARAYAN, Under Secy.

New Delhi, the 17th February, 1973

**S.R.O. 58.**—In exercise of the powers conferred by section 60 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Cantonment Board, Cannanore, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 79 dated the 24th February, 1969, namely:—

"In the said notification:

(i) for clauses (a) and (b), above the Explanation, the following clause shall be substituted, namely:—

(1) A show tax at the rate of ten rupees per show leviable in respect of every show, cinema, drama, carnival or other show meant for entertainment and for which persons are admitted on payment.

(ii) Clause 5 shall be omitted."

[F. No. 53/16/C/L&C/68/301-C/D(Q&C)]
S. P. MADAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1973

**का. नि. आ. 59.**—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और भारतीय सेना अकादमी, देहरादून में स्थित संग्रहालयों के कतिपय वर्ग 3 पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:**—(1) इन नियमों का नाम राष्ट्रीय रक्षा और भारतीय सेना अकादमी (संग्रहालय कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 1973 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना:**—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के 3 से 5 तक स्तंभों में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं:**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के 6 से 14 तक स्तंभों में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु सीधे भर्ती किये जाने वालों के लिए विहित अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी ।

5. **निरर्हताएं:**—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति:**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति:**—इन नियमों में की कोई भी बात, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध करने हेतु, आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

**अनुसूची**

रक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय रक्षा तथा भारतीय सेना अकादमी में तकनीकी सहायक तथा कलाकार चिन्हक (मार्कसमर) पदों के लिए भर्ती नियम

| पद का नाम | | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | तकनीकी सहायक | 1 | रक्षा सेवाओं में सिविलियन वर्ग-III अराजपत्रित, औद्योगिक ईतर, अननुसचिवीय। | 210-10-290-15-320-द०रो०-15-425 रु० | लागू नहीं होता | 24 से 30 वर्ष |
| 2. | कलाकार चिन्हक (मार्कसमन)। | 1 | –यथोक्त– | 205-7-240-8-280 रु० | लागू नहीं होता | 24 से 30 वर्ष |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 |
| **(क) अनिवार्य अर्हताएं :**<br>(i) इतिहास विषय के साथ बी० ए० रसायन विषय के साथ बी०एस-सी०।<br>(ii) संग्रहालय विज्ञान में डिप्लोमा या किसी अच्छे संग्रहालय/संरक्षण प्रयोगशाला में 3 वर्ष का अनुभव।<br>**(ख) वांछनीय अर्हताएं:**<br>प्रलेखपोषण का ज्ञान | लागू नहीं होता | दो वर्ष |
| (i) मैट्रिकुलेशन परीक्षा या समतुल्य अर्हता . .<br>(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कला में डिग्री/डिप्लोमा<br>(iii) चित्रों के प्रदर्शन तथा प्रतिमा, आरेखन, रेखाचित्र आदि बनाने के काम का किसी संग्रहालय में लगभग 2 वर्ष का अनुभव।<br>**अधिमान्य**<br>फोटोग्राफी की साज सज्जा के उपयोग करने की क्षमता | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| भर्ती की पद्धति/भर्ती प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 14 |
| स्थानान्तरण जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा | **स्थानान्तरण:**<br>रक्षा सेवाओं के निचले संगठनों में समान, समतुल्य या उच्चतर श्रेणियों में काम करने वाले व्यक्ति। | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
| –यथोक्त– | –यथोक्त– | –यथोक्त– | –यथोक्त– |

बी० वाई० नारायन, अवर सचिव

New Delhi, the 19th February, 1973

**S.R.O. 59.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain class III posts in the Museums at the National Defence Academy, KHARAKVASLA and the Indian Military Academy, DEHRADUN, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the National Defence and Indian Military Academies (Museum Staff) Recruitment Rules, 1973.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts as specified in column 2 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number, classification and scale of pay.**—The number or posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 6 to 14 of the Schedule aforesaid:

Provided that the upper age-limit prescribed for direct recruits may be relaxed in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders of the orders of the Central Government issued from time to time.

5. **Disqualifications.**—No person;

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal Law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Recruitment Rules for the Posts of Technical Assistant and Artist/Marksman at National Defence and Indian Military Academies, Ministry of Defence

| Name of post | No. of Posts | Classification | Scale of pay | Whether Selection or Non-Selection | Age for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Technical Assistant | 1 | Civilians in Defence Services Class III, non-gazetted' non-industrial, non-minis-erial. | Rs. 210-10-290-15-320-EB-15-425 | Not applicable | 24-30 years | **(A) Essential Qualifications :** (i) B.A. with History/B.Sc with Chemistry. (ii) Diploma in Museology or Three years experience in a good Museum/conservation laboratory. **(B) Desirable Qualifications :** Knowledge of documentation |

| Whether age & educational qualifications for direct recruits apply in case of promotees | Period of probation, if any | Method of recit. by promotion, deputation, transfer & percentage of vacancies to be filled by various Methods | In case of recruitment promotion, transfer, grades from which promotions/ deputations/transfer to be made | If a DPC exists what is its composition | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Not applicable | Two years | Transfer failing which by direct recruitment | **Transfer:** Persons working in similar, equivalent, or higher grades in the lower formations of Defence Services. | Not applicable | Not applicable |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Artist/Marksman | 1 | Civilians in Defence Services Class III, non-gazetted, non-industrial, non-ministerial | Rs. 205-7-240-8-280 | Not applicable | 24-30 years | (i) Matriculation Examination or equivalent qualification.<br>(ii) Degree/Diploma in Art from a recognised Institution;<br>(iii) About two years' experience of working in a Museum in displaying paintings and preparation of models, diagrams, sketches etc.<br>**Preferential :**<br>Ability to handle photographic equipment. |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Not applicable | Two years | Transfer failing which by direct recruitment | **Transfer :**<br>Person working in similar equivalent, or higher grades in the lower formation of Defence Services. | Not applicable | Not applicable |

V.Y.NARAYAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1973

**का. नि. आ. 60.**—यतः रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय संगठन के निदेशक और युद्ध से मृत्यु-वियुक्त तथा निःशक्त सैनिक विशेष राहत निधि, जिसे इसमें इसके पश्चात् निधि कहा गया है, के पदेन सचिव ने इससे संलग्न अनुसूची 'क' में वर्णित निधि को भारत के खैरातो विन्यास के कोषपाल में निहित करने के लिए तथा उस निधि के प्रशासन के लिए स्कीम के परिनिर्धारण हेतु आवेदन किया है।

अतः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि खैरातो विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) की धारा 4 और 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यथापूर्वोक्त आवेदन पर तथा उक्त निदेशक की सहमति से, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा आदेश देती है कि वह निधि, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, भारत खैराती विन्यास के कोषपाल में उस निधि के प्रकाशन के लिए, इससे उपाबद्ध अनुसूची 'ख' में उपवर्णित स्कीम में दिए गए न्यासों और निबन्धनों के अनुसार न्यास पर धारण करने हेतु, उस निधि और उसकी आय को (उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए) उसके तथा उसके पद उत्तरवर्तियों द्वारा धारण करने के लिए, निहित होगी और उसके पश्चात् निहित रहेगी।

और एतद्द्वारा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन, निधि के प्रशासन के लिए, उक्त स्कीम का परिनिर्धारण किया गया है और यह 20 फरवरी, 1973 को प्रवृत्त होगी।

**अनुसूची 'क'**

पांच करोड़ रुपयों में से चार करोड़ रुपए न्यासी प्रतिभूतियों में विनिहित किए जाएंगे।

**अनुसूची 'ख'**

1. **संक्षिप्त नाम**—इस स्कीम का नाम युद्ध से मृत्यु-वियुक्त तथा निःशक्त सैनिक विशेष राहत निधि प्रशासन स्कीम है।

2. **परिभाषाएं**—इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "आश्रित" से सैनिक पर वास्तविक रूप से आश्रित भूतपूर्व सैनिक की पत्नी, उपार्जन न करने वाले 23 वर्ष से कम आयु वाले पुत्र, उपार्जन न करने वाली अविवाहित या विधवा पुत्रियां, उपार्जन न करने वाले 23 वर्ष से कम आयुवाले भाई और उपार्जन न करने वाली अविवाहित या विधवा बहनें तथा अभावग्रस्त माता-पिता अभिप्रेत हैं ;

(ख) "निधि" से युद्ध से मृत्यु-वियुक्त तथा निःशक्त सैनिक विशेष राहत निधि अभिप्रेत है ,

(ग) इस स्कीम के प्रयोजनार्थ "सैनिक" से ऐसा कोई व्यक्ति, जिसमें ऐसा सिविलियन भी है, अभिप्रेत है, जिसने सशस्त्र बलों में या फौजी संक्रियाओं की अवधि के दौरान सशस्त्र बलों के साथ या उनके नियंत्रणाधीन ऐसे प्रादेशिक सेना या जनरल रिजर्व इंजीनियरी बल के, जो सेवा कर रहे हैं या जिन्होंने सेवा की है, ऐसे यूनिटों में सेवा की है, और जो मृत हैं या जिसके मृत होने की उपधारणा की गई है या निम्नलिखित फौजी संक्रियाओं में से किसी में हुई क्षतियों के कारण सेवा से स्थायी रूप से असमर्थ कर दिया गया है या जिसका असमर्थ किया जाना संभाव्य है, अर्थात् :—

(1) 1947-48 काश्मीर फौजी संक्रिया ,

(2) हैदराबाद फौजी संक्रिया ,

(3) गोआ फौजी संक्रिया ,

(4) चीन का आक्रमण, 1962 ,

(5) भारत-पाक संघर्ष 1965, जिसमें कच्छ और कारगील-फौजी संक्रियाएं भी हैं ,

(6) 1971 का भारत पाक संघर्ष ।

3. **निधि के उद्देश्य.**—(1) निधि का उपयोग, युद्ध से मृत्यु-विमुक्त और निःशक्त सैनिकों या उनके आश्रितों को उनकी शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास, राहत और कल्याण के संबंध में, योग्य मामलों में दीर्घकाल के लिए अस्पताल में रहने पर हुए व्यय को भागतः या पूर्णतः पूरा करने के लिए या निवासी प्लाट या मकान की खरीद पर व्यय उपगत करने के लिए या जो ऐसे मकानों के निर्माण या मरम्मत हेतु, किसी अन्य सामान्य श्रोत से या केन्द्रीय या राज्य सरकारों की किसी अन्य स्कीम के अधीन वित्तपोषित नहीं हैं या मकान के निर्माण हेतु, लिए गए उधार पर ब्याज के संदाय के लिए या किराए के संदाय के लिए ऐसे अन्य राहत उपायों के संदाय के लिए, जो आवश्यक प्रतीत हों, आवर्ती या अनावर्ती अनुदानों या उधार देने हेतु, किया जाएगा ।

(2) निधि का ऐसे सामुदायिक पुनर्वास उपायों के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा जैसे कि व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्रों का बनाना, भूमि के बड़े तथा एक साथ लगे हुए भूखण्डों के विकास के लिए या युद्ध में मारे गए या स्थायी रूप से निःशक्त बना दिए गए सैनिकों के कुटुम्बों के फायदे के लिए किसी अन्य आर्थिक क्रियाकलाप के विकास के लिए या उनके बच्चों के लिए उच्चतर विशेषज्ञीय शिक्षा के लिए ऐसे विन्यासों को बनाने के लिए, जो केन्द्रीय या राज्य सरकारों की किसी अन्य स्कीम के अधीन नहीं आते हैं या उनसे वित्तपोषित नहीं हैं, संगठनीय सहायता देना ।

4. **निधि की आस्तियां.**—(1) अनुसूची 'क' में निर्दिष्ट निधि राष्ट्रीय रक्षा निधि से पांच करोड़ रूपयों के प्रारम्भिक अभिदाय से गठित की जाएगी ।

(2) निधि की आस्तियों में, उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित भी होंगे :—

(1) राष्ट्रीय रक्षा निधि से या केन्द्रीय सरकार से निधि को अतिरिक्त अभिदाय ;

(2) पब्लिक या प्राइवेट संगठनों या जन-साधारण से दान ;

(3) समय-समय पर राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त अभिदाय ;

(4) वस्तु के रूप में कोई अन्य दान ;

(5) पब्लिक या प्राइवेट संगठनों से या जन-साधारण से स्वैच्छिक विन्यास ; और

(6) निधि की आस्तियों से आय ।

5. **आस्तियों का निहित किया जाना**—पांच करोड़ रुपयों की प्रारम्भिक आस्तियों में से चार करोड़ रुपए की रकम भारत के खैराती विन्यास के कोषपाल में निहित की जाएगी । शेष, नीचे दिए गए पैरा 16 में यथादर्शित रूप में विनिहित किया जाएगा ।

6. **प्रबन्ध**—(1) भारत के खैराती विन्यास का कोषपाल, निधि के प्रबन्ध या प्रशासन में कार्य नहीं करेगा ।

(2) निधि का प्रबन्ध और प्रशासन, केन्द्रीय सरकार द्वारा, दिए गए किन्हीं साधारण या विशेष निदेशों के अधीन रहते हुए, प्रबन्ध समिति के पास होगा ।

7. **प्रबन्ध समिति**—निधि के प्रबन्ध और प्रशासन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की एक प्रबन्ध समिति गठित की जाएगी, अर्थात् :—

**अध्यक्ष**

(1) रक्षा मंत्री

**उपाध्यक्ष**

(2) मुख्य सचिव, रक्षा मंत्रालय ।

**सदस्य**

(3) स्थल सेनाध्यक्ष

(4) नौ सेनाध्यक्ष

(5) वायु सेनाध्यक्ष

(6) वित्तीय सलाहकार, वित्त मंत्रालय (रक्षा)

(7) अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय

(8) संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री सचिवालय

(9) भूतपूर्व सैनिकों के पुनः स्थापन का भारसाधक संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय ।

और

(10) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो सदस्य जिनमें से एक महिला होगी ।

**सदस्य-सचिव**

(11) निदेशक, केन्द्रीय संगठन, रक्षा मंत्रालय ।

8. **सदस्यता की पदावधि**—(1) जब कोई व्यक्ति अपने पद या अपनी नियुक्ति के फलस्वरूप प्रबंध समिति का सदस्य बनता है, उसकी सदस्यता, ऐसे पद या नियुक्ति को उसका धारण करना जब समाप्त होता है तब खत्म हो जाएगी ;

(2) खण्ड (1) के अधीन रहते हुए, प्रबन्ध समिति के नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी, परन्तु सदस्य, सदस्य के रूप में पुनः नामनिर्देशन का पात्र होगा ।

9. **निधि का उपयोग**—खैराती विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रबंध समिति को निधि का नियंत्रण तथा प्रशासन और उसे या उसके किसी भाग के विनिधान की शक्ति होगी, जैसा वह निधि के उद्देश्यों पर ध्यान देते हुए आवश्यक समझे ;

परन्तु :—

(क) उधार के लिए ब्याज की वह दर, प्रबन्ध समिति द्वारा नियत की गई दर होगी ;

(ख) निधि का किसी ऐसी स्कीम के वित्तपोषण के लिए सामान्य रूप से उपयोग नहीं किया जाएगा जिसकी व्यवस्था करना नियमों के अनुसार या मंजूरी दी गई

किसी स्कीम के अनुसार केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्रों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी है ।

10. **कामकाज का संचालन**—(1) प्रबन्ध समिति की कामकाज के संचालन के लिए बैठक हो सकेगी, बैठक स्थगित की जा सकेगी और समिति अपनी बैठक तथा कार्यवाहियों का अन्यथा ऐसा विनियमन कर सकेगी, जैसा उक्त समिति द्वारा बनाए जाने वाले उपविधि द्वारा अवधारित किया जाए ।

(2) प्रबन्ध समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति बैठक में वैयक्तिक रूप से उपस्थित तीन सदस्यों की होगी और प्रबन्ध समिति की ऐसी बैठक, जहां गणपूर्ति के लिए सदस्य उपस्थित हैं, वहां उक्त समिति के सभी या किन्हीं अन्य कृत्यों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगी ।

(3) बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा, या उसकी अनुपस्थिति में प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष द्वारा, की जाएगी । यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, किसी बैठक में उपस्थित नहीं है तो उसकी अध्यक्षता, बैठक में निर्वाचित शासकीय द्वारा की जाएगी ।

(4) उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के मतों की बहुसंख्या द्वारा प्रत्येक मामले का अवधारण किया जाएगा । सदस्य-सचिव को मताधिकार नहीं होगा । बराबर मत होने की दशा में, यथास्थिति, समिति या बैठक के अध्यक्ष के निर्णायक मत के अनुसार मामले का विनिश्चय किया जाएगा ।

11. **उपविधियों का बनाना**—प्रबन्ध समिति निधि तथा उसके न्यास के विनियमन, प्रबन्ध और निष्पादन से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजन के लिए उप-विधियां बना सकेगी और समय-समय पर उनमें परिवर्तन, फेरफार या विखण्डन कर सकेगी ।

12. **उप-समितियों की नियुक्ति**—(1) अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के प्रयोजनार्थ, प्रबन्ध समिति, अपने सदस्यों में से बनाकर एक कार्यपालिका समिति नियुक्त कर सकेगी ।

(2) वह एक या अधिक ऐसी सलाहकार समितियां भी अपने सदस्यों में से या उनके प्रतिनिधियों में से या ऐसे व्यक्तियों में से बनाकर नियुक्त कर सकेगी, जिनमें ऐसे अशासकीय भी हो, जो, स्कीमों या निधि से सहायता देने या अन्य प्रस्तावों की संवीक्षा करने और उन्हें अपनी सिफारिशों के साथ प्रबन्ध समिति को प्रस्तुत करने तथा निधि के प्रशासन से सम्बन्धित अन्य बातों पर प्रबन्ध समिति को सलाह देने के लिए सदस्यों या सलाहकारों के रूप में सहयोजित किए जाएं ।

13. **निधि के अन्तरण का अधिकार**—प्रबन्ध समिति को निधि के किसी भाग को, उस निधि के उद्देश्यों के समान उद्देश्यों के संवर्धन के लिए स्थापित किसी अन्य सोसाइटी या संगम या संगठन को, अन्तरित करने का अधिकार होगा :

परन्तु, ऐसे अन्तरण के पूर्व, केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।

14. **प्रबन्ध समिति के सदस्य पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे**—प्रबन्ध-समिति के सदस्य पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे :

परन्तु, अशासकीय सदस्यों को प्रबन्ध समिति द्वारा विनिश्चित किए गए विस्तार तक यात्रा-व्यय की परिपूर्ति की जा सकेगी ।

15. **कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति**—रक्षा मंत्रालय, निधि से सम्बन्धित काम के लिए आवश्यक कर्मचारिवृन्द की व्यवस्था करेगा ।

16. **धन का निक्षेप तथा विनिधान**—भारत के खैराती विन्यास के कोषपाल को चार करोड़ रुपये के अन्तरण के पश्चात्, शेष निधि प्रबन्ध समिति द्वारा विनिहित की जाएगी । वह शेष धन भारत के स्टेट बैंक या उसके किसी अनुषंगी बैंक में या किसी ऐसे राष्ट्रीय कृत/अनुसूचित बैंक में एक या अधिक खातों में रखा सकेगी, जिसमें अन्तिम वार्षिक तुलन-पत्र के अनुसार जमा दस करोड़ रुपए से कम न हो ।

17. **खातों का प्रवर्तन**—प्रबन्ध समिति की ओर से, निधि के खाते, निधि के सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त पदधारी और रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिकों के पुनः स्थापन के भारसाधक संयुक्त सचिव द्वारा जो पदेन प्रबन्ध समिति का सदस्य भी है, या ऐसे अन्य दो अधिकारियों द्वारा जो प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएं, संयुक्त रूप से परिचालित किए जाएंगे ।

18. **लेखा तथा लेखापरीक्षा**—(1) निधि के सभी धन तथा सम्पत्ति के नियमित लेखे रखे जाएंगे और प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किए गए चार्टर्ड एकाउंटेंटों के फर्म या किसी अन्य मान्यता-प्राप्त लेखा परीक्षक द्वारा, उनकी लेखा परीक्षा की जाएगी ।

(2) लेखा परीक्षक, अन्य बातों के साथ, यह भी प्रमाणित करेगा कि निधि से व्यय, निधि के उद्देश्यों तथा निधि के विनियमन तथा प्रबन्ध के लिए प्रबन्ध समिति द्वारा बनाए गए उप-विधियों के अनुसार सही रूप से उपगत किया गया है ।

19. **सामयिक रिपोर्टें**—निधि से वित्त पोषित की गई स्कीमों को दर्शित करने वाली तथा लेखा-परीक्षा किए गए वार्षिक लेखा-विवरण की रिपोर्टें, निधि के सदस्य-सचिव द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त के पश्चात्, किन्तु तत्पश्चात् छह मास पूर्व, केन्द्रीय सरकार को दी जाएंगी ।

[संख्या 00031/सी. आर. ओ.]

अजीत सिंह, उप सचिव

New Delhi, the 20th February, 1973

**S.R.O. 60.**—Whereas the Director, Central Organisation, Ministry of Defence, and ex-officio Secretary, War Bereaved and Disabled Servicemen Special Relief Fund, hereinafter referred to as the Fund has applied for vesting the Fund described in Schedule 'A' annexed hereto, in the Treasurer of Charitable Endowments for India and for the settlement of a Scheme for the administration of the Fund.

It is hereby notified that in exercise of the powers conferred by sections 4 and 5 of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), and upon the application as aforesaid and with concurrence of the said Director, the Central Government hereby orders that the Fund shall, as from the date of publication of this notification, vest and be henceforth vested in the Treasurer of Charitable Endowments for India to be held by him and his successors in office (subject to the provisions of the said Act and the rules made thereunder) upon trust to hold the Fund and the income thereof in accordance with the trusts and terms set out in the Scheme set forth in Schedule 'B' annexed hereto for the administration of the Fund;

And it is hereby further notified that the said Scheme has been settled for the administration of the Fund under sub-section (1) of section 5 of the said Act, and that it shall come into force on the 20th February, 1973.

SCHEDULE 'A'

Rupees five crores out of which rupees four crores to be invested in the trustee securities.

SCHEDULE 'B'

1. **Short title.**—This Scheme shall be known as the SCHEME FOR THE ADMINISTRATION OF THE WAR BEREAVED AND DISABLED SERVICEMEN SPECIAL RELIEF FUND.

2. **Definitions.**—In this Scheme, unless the context otherwise requires—

(a) "dependent" means the wife, non-earning sons below the age of 23 years, non-earning unmarried or widowed daughters, non-earning brothers below the age of 23 years and non-earning unmarried or widowed sisters and needy parents of the ex-servicemen, actually dependent on the servicemen;

(b) "Fund" means the War Bereaved and Disabled Servicemen Special Relief Fund;

(c) "servicemen" for the purposes of this Scheme means any person, including a civilian, who has served in the Armed Forces, or such units of the Territorial Army or General Reserve Engineering Force as are serving or have served with or under the control of the Armed Forces during the period of operations and is dead or is presumed to be killed, or has been or is likely to be permanently invalided out of service due to injuries sustained in any, of the following operations, namely :—

(i) 1947-48 Kashmir operations;

(ii) Hyderabad operations;

(iii) Goa Operations;

(iv) Chinese Aggression, 1962;

(v) Indo-Pak conflict 1965 including Kutch and Kargil operations;

(vi) Indo-Pak conflict of 1971.

3. **Objects of the Fund.**—(1) The Fund shall be applied towards making recurring or non-recurring grants or loans to war bereaved and to disabled servicement or their dependents, in connection with their education, training rehabilitation, relief and welfare or for meeting expenses partially or wholly on prolonged hospitalisation in deserving cases or for incurring expenses on purchase of a residential plot or house, or towards construction or repair of houses not financed from any other normal source or under any other scheme of the Central or State Governments or for payment of interest on a loan taken for construction of a house or for payment towards rent of a hired house or such other relief measures as may appear to be necessary.

(2) The fund may also be utilised for collective rehabilitation measures, like setting up vocational training and production Centres, Organisational assistance for development of large and contiguous tracts of land or development of any other economic activity for the benefit of families of servicemen killed in action or disabled permanently or for creation of endowments for higher specialised education for their children, not covered or financed under any other scheme of the Central or State Governments.

4. **Assets of the Fund.**—(1) The Fund referred to in Schedule 'A' shall be constituted with the initial contribution of rupees five crores from the National Defence Fund. (2) The assets of the Fund shall also include, in addition to the above :—

(i) Further contributions to the Fund from the National Defence Fund or from the Central Government:

(ii) donations from public or private organisations or members of the public;

(iii) contributions received from time to time from the State Governments or the Governments of the Union territories.

(iv) any other donations in kind;

(v) voluntary endowments from public or private organisations, or from members of the public; and

(vi) income from the assets of the Fund.

5. **Vesting of assets.**—Out of the initial assets of rupees five crores, a sum of rupees four crores shall be vested in the Treasurer of Charitable Endowments for India. The balance will be invested as shown in para 16 below.

6. **Management.**—(1) The Treasurer of Charitable Endowments for India shall not act in the management or administration of the Fund. (2) The management and administration of the Fund shall rest with the Managing Committee, subject to any general or special directions given by the Central Government.

7. **Managing Committee.**—For the management and administration of the Fund, a Managing Committee shall be constituted with the following persons, namely :—

Chairman

(1) Minister of Defence.

Vice-Chairman

(2) Principal Secretary, Ministry of Defence.

Members

(3) Chief of the Army Staff

(4) Chief of the Naval Staff

(5) Chief of the Air Staff

(6) Financial Adviser, Ministry of Finance (Defence)

(7) Additional Secretary, Ministry of Defence

(8) Joint Secretary, Prime Minister's Secretariat.

(9) Joint Secretary in charge of Resettlement of Ex-Servicemen, Ministry of Defence.

and

(10) Two members out of which one shall be a lady, to be nominated by the Chairman.

Member Secretary

(11) Director, Central Organisation, Ministry of Defence.

8. **Tenure of Membership :**—(1) When a person becomes a member of the Managing Committee by virtue of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold such office or appointment; (2) Subject to clause (1), the tenure of nominated members of the Managing Committee shall be two years, provided that a member shall be eligible for re-nomination as member.

9. **Application of the Fund.**—Subject to the provisions of the Charitable Endowments Act, 1890 (6 of 1890), the Managing Committee shall have the power to control and administer the Fund and to invest the same or any part thereof as it may consider necessary having regard to the objects of the Fund;

Provided that :—

(a) the rate of interest for loans shall be the rate fixed by the Managing Committee;

(b) the Fund shall not normally be used to finance any scheme, the provision of which is entirely the responsibility of the Central Government or State Governments or Union territories according to rules or in accordance with a sanctioned scheme.

10. **Conduct of Business.**—(1) The Managing Committee may meet for the conduct of business, adjourn and otherwise gulate its meeting and proceedings as may be determined by the bye-laws to be framed by the said Committee; (2) The quorum for a meeting of the Managing Committee shall be three members personally present at the Meeting and a Meeting of the Managing Committee at which a quorum is esent shall be competent to exercise all or any other functions of the said Committee. (3) The meeting shall be presided over by the Chairman or, in his absence, by the Vice-Chairman of the Managing Committee. In case the Chairman and the Vice-Chairman are not present in a meeting, it shall be presided over by an official member elected at the meeting. (4) Every matter shall be determined by a majority of votes of the members present and voting. The Member-Secretary shall have no right to vote. In case of equality of votes the matter shall be decided according to the casting vote of the Chairman of the Committee or meeting, as the case may be.

11. **Framing of bye-laws.**—The Managing Committee may make bye-laws for the regulation, management and any other purpose connected with the execution of the Fund and the trust thereof and alter, vary or rescind the same from time to time.

12. **Appointment of Sub-Committees.**—(1) The Managing Committee, for the purpose of implementing its policies, may appoint an Executive Committee formed from amongst its members. (2) It may also appoint one or more Advisory Committee formed from amongst its members or their representatives or such persons including non-officials as may be co-opted as members or advisers to scrutinize schemes or other proposals for assistance from the Fund and submit them with its recommendations to the Managing Committee and to advise the Managing Committee on other matters connected with the administration of the Fund.

13. **Right to transfer the Fund.**—The Managing Committee shall have the right to transfer any part of the Fund to any other society or association or organisation established for the promotion of objects similar to the objects of the Fund:

Provided that prior approval of the Central Government shall be obtained before such transfer.

14. **Members of the Managing Committee not entitled to remunerations.**—Members of the Managing Committee shall not be entitled to any remunerations :—

Provided that the non-official members may be reimbursed travelling expenses to the extent decided by the Managing Committee.

15. **Appointment of Staff.**—The Ministry of Defence shall arrange for provision of the necessary staff for the work connected with the Fund.

16. **Deposit and Investment of Moneys.**—The balance of the Fund, left after transfer of rupees four crores to the Treasurer Charitable Endowments for India, shall be invested by the Managing Committee. It may keep the balance of the Money in one or more accounts at the State Bank of India or any of its subsidiaries or any Nationalised/Scheduled Bank, the deposits in which, according to last annual balance sheet are not less than Rs. 10 crores.

17. **Operation of accounts.**—The accounts of the Fund shall be operated, on behalf of the Managing Committee, jointly by the official appointed as Member-Secretary of the Fund and Joint Secretary in-charge of Resettlement of Ex-servicemen, Ministry of Defence who is ex-officio Member of the Managing Committee or such other two officers as may be nominated by the Chairman of the Managing Committee.

18. **Accounts and Audit.**—(1) Regular accounts shall be kept of all moneys and properties belonging to the Fund and shall be audited by a firm of Chartered Accountants or any other recognised auditor as may be appointed by the Managing Committee. (2) The Auditor shall inter-alia also certify that the expenditure from the Fund has been correctly incurred in accordance with the objects of the Fund and the bye-laws framed by the Managing Committee for the regulation and management of the Fund.

19. **Periodical Reports.**—Annual Reports showing the Schemes financed from the Fund, and the annual audited statement of accounts shall be rendered to the Central Government by the Member-Secretary of the Fund after the close of the financial year, but not later than six months thereafter.

[File No. 00031/CRO]

AJIT SINGH, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI,
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI-6, 1973